<table>
<tr><td colspan="2">बिहार विधान परिषद के लिए शून्यकाल सूचना</td></tr>
<tr><td>श्री मिश्री लाल यादव, मा0 स0वि0प0 द्वारा सदन में दिनांक –07.08.2012 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में</td><td>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,
मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना</td></tr>
<tr><td>शून्यकाल सूचना</td><td>उत्तर</td></tr>
<tr><td>जमुई जिला के झाझा प्रखण्ड अन्तर्गत सिमुलतला थाना के टेलवा बाजार में जहरीली शराब पीने से टेलवा के बीमा रजक, सुंदर यादव, मुस्तकीन मियॉ एवं एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है । मृतक गरीब निःसहाय व्यक्ति हैं । जमुई जिला के झाझा प्रखण्ड में अवैध दारू की भट्ठियों की संख्या लाइसेंसी दुकान से कई गुना अधिक है जिस कारण गरीबों की जान जाती है ।
अतः मैं सरकार से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने तथा अवैध दारू भट्ठियों पर रोक लगाने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।</td><td>उत्पाद अधीक्षक, जमुई के प्रतिवेदनानुसार जमुई जिला के झाझा प्रखंड अन्तर्गत सिमुलतला थाना के टेलवा बाजार में जहरीली शराब से मौत की कोई घटना प्रमाणित नहीं है । मौत की घटना घोबी टोला टेलवा बरौंधियॉ एवं मझियापुरा में हुई है । तीनों मृतकों यथा झारी रजक, बीमा रजक एवं मुस्तकीम के परिजनों ने बताया कि मृतक शराब पीते ही नहीं थे । अन्य मृतक सुन्दर यादव के परिजन ने बताया कि उनकी मृत्यु सर्दी, खॉसी एवं बुखार के कारण हुई थी । सिमुलतला थाना में घटना की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है तथा किसी मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है ।
उत्पाद विभाग के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों से अवैध शराब भट्ठियों पर रोक लगाने की हर संभव कार्रवाई की जाती है । इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक कुल 233 अभियोग पकड़े गये हैं तथा 177 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । इस अवधि में निम्नांकित प्रदर्श जब्त किये गये हैं :–
1. चुलाई शराब – 837.600 लीटर
2. जावा महुआ –19960.00 कि0ग्रा0
3. देशी शराब –99.350 ली0
4. मसालेदार देशी शराब –18.600 ली0
5. विदेशी शराब –11.910 ली0
6. वियर –7.150 ली
7. महुआ फुल –90.00 कि0ग्रा0</td></tr>
</table>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0प0शू0का0–38/2012/.../आ0प्र0 दिनांक –

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय को उनके पत्रांक –2430(1) के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04/वि0प0शू0का0–38/2012/4853/आ0प्र0 दिनांक –6/12/12

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

5/12/12

सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vi Sabha\Vidhai QA Shoonyakal 6-8-2012.docx